03/2023

रामप्रताप बनाम गोवर्धन

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	5/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 उप0 अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा जवाब T.I. पेश नहीं किया है अप्रार्थी सं0 1 को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है आगामी पेशी पर जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त हो बन्द कर दिया जावेगा पत्रावली वास्ते जवाब T.I. हेतु दिनांक 11/7/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	11/7/23	आज दिनांक 11/7/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेन्स/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/7/23 को पेश हों।
	18/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप0 अप्रार्थी सं0 1 लगातार उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है पत्रावली वास्ते बहस T.I. हेतु दिनांक 31/7/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

रामप्रताप बनाम गोर्धनी वगै०

प्रार्थना पत्र संख्याः 03/2023

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31.07.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम मुण्डोता, पटवार हल्का मुण्डोता, भू.अ.नि.क्षे–रोज तहसील आमेर, जिला जयपुर में भूमि खसरा नबंर 563/2022 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नबंर 564 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नबंर 690 रकबा 1.85 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 3.55 हैक्टेयर स्थित है। जिसके हिस्से 1/2 की खातेदारी प्रार्थी एवं हिस्से 1/2 की खातेदारी अप्रार्थी सं. के नाम राजस्व अभिलेख में अमल दरामद है। वादसंपति का प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा यद्यपि मनबट से बंटवारा किया हुआ है परन्तु वादसंपति का विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी ने वादसंपति में निहित अपने हिस्से 1/2 व कब्जेशुदा भूमि पर काबिज काश्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख में खाता आज भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के नाम संयुक्त रूप से है। जिसको लेकर आये दिन प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के मध्य सीवडोल को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी अधिकांशतः जयपुर में ही निवास करता है, परन्तु खातेदारी की उक्त भूमि की सार संभाल के लिए वादसंपति पर जाता रहता है। इसी का अप्रार्थी सं 1 बेजा फायदा उठानी चाहती है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी स. 1 से दिनांक 25.12.2022 को सहमति के आधार पर वाद संपति का विभाजन करवाकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम करवा लेने का सुझाव दिया जाता रहा है, परन्तु अप्रार्थी सं. 1 इनकार हो गई तथा धमकी दी कि वह तो अपने हिस्से की भूमि का बेचान प्रोपर्टी डिलरो को करेगी, जो वाद सम्पत्ती में व्यावसायिक प्रयोजन का निर्माण करवायेगी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वाद सम्पत्ती का विभाजन से इनकार कर दिये जाने के कारण हस्तगत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी अधिकारी है कि वह वादसंपति भूमि खसरा नंबर 563/2022 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नबंर 564 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नबंर 690 रकबा 1.85 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 3.55 हैक्टेयर वाके राजस्व ग्राम मुण्डोता, पटवार हल्का मुण्डोता. भू.अ. नि. क्षे– रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर का बाइ मिट्स एंड बाउण्डस विभाजन करवाकर अपने हिस्से का पृथक से खाता व लगान कायम करवा सके तथा प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 को ताफैसला मूल वाद इस कदर की अस्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबंद करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 वाद संपति में प्रार्थी के निहित हिस्से 1/2 के उपयोग उपभोग में प्रार्थी को किसी प्रकार का व्यवधान, बाधा, विघ्न आदी ना तो स्वयं उत्पन्न करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर चाकर, ठेकेदार आदी से करावें । अप्रार्थी सं. 1 उक्त कृत्य ना तो स्वयं करे, ना ही किसी दिगर से करावे तथा इस कदर की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का भी अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी को वाद संपति में निहित प्रार्थी के हिस्से 1/2 से जबरन बेदखल कर प्रार्थी के हिस्से कि आराजीयात पर ना तो जबरन कब्जा करे, ना ही सीमाओं में कोई तोडफोड इत्यादी करे। ना ही भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करे। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त कृत्य ना तो स्वंय करे, ना ही किसी अन्य से करावें । बहस प्रार्थी पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हमने पाया कि वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विभाजन का है यदि उभयपक्षकारान में से किसी एक खातेदार के द्वारा किसी विशिष्ट भू–भाग का निर्माण या बेचान कर देनें से वादग्रस्त भूमि का स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.01.2023 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो मूल वाद के हमफिता रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested